

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद  
निर्यात विकास प्राधिकरण  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

फाइल सं.: CRL-2020-21-000031

**विषय: सेनेगल को चावल निर्यात के संबंध में परामर्श।**

यह दिनांक 21.11.2025 की एपीडा परामर्श संख्या CRL-2020-21-000031 के संदर्भ में है, जो सेनेगल सरकार द्वारा एक महीने की अवधि के लिए चावल के लिए आयात घोषणाओं (डीआईपीए) को जारी करने पर लगाई गई रोक (निलंबन) के कारण, सेनेगल को गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित करने के संबंध में थी।

भारतीय दूतावास, डकार (सेनेगल) और व्यापार हितधारकों/निर्यातकों ने सूचित किया है कि चावल के आयात पर उक्त एक महीने का प्रतिबंध अब हटा लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में, एपीडा तत्काल प्रभाव से सेनेगल को गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी जारी करना फिर से शुरू करेगा। हालाँकि, हितधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे चावल से संबंधित नीतिगत शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए सेनेगल में नवीनतम घटनाक्रमों पर नजर रखें। किसी भी संदेह की स्थिति में, शिपमेंट (खेप) पर निर्णय लेने से पहले, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, भारतीय दूतावास (डकार)/एपीडा से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

विनीता सुधांशु

महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14.01.2026